हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान
HIMALAYAN FOREST RESEARCH INSTITUTE
(Indian Council of Forestry Research & Education)
Conifer Campus, Panthaghati, Shimla - 171 013
PHONE: 0177-2626778; FAX: 0177-2626779; E-MAIL: dir_hfri@icfre.org

Dr. V.P. Tewari
Director

संख्याः 3-1(38)HFRI/2019/ 3186 – 3189 **दिनांकः 05 फरवरी 2019**

कार्यालय आदेश -232

उप-महानिदेशक (अनुसंधान), भा०वा०अ०शि०प०, देहरादून से प्राप्त पत्र संख्याः 32/2018-ICFRE®/RP/Misc./321 दिनांक 8 जनवरी, 2019 की अनुपालना में यह आदेश दिए जाते हैं कि संस्थान के समूह समन्वयक अनुसंधान सभी प्रभागाध्यक्षों से परामर्श उपरान्त आवश्यक औपचारिकताओं का अनुसरण कर एक कम्पनी को पहचान कर उसे hire करेंगे, जो कि राशि भुगतान के आधार पर साहित्यिक चोरी के परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवा सके । यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि:

- पी० एच० डी० शोधार्थी परिस्थिति अनुसार अपनी पाण्डुलिपि के साथ साहित्यिक चोरी के परीक्षण की रिर्पोट संस्थान/ विश्वविद्यालय को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे ।
- संस्थान के सभी वैज्ञानिक/ परियोजना अन्वेषक साहित्यिक चोरी के परीक्षण हेतु शुल्क अपने 2 आन्तरिक एवं बाह्य वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं में बुक (book) करेंगें ।

In pursuance to the letter No. 32/2018-ICFRE®/RP/Misc./321 dated 8th Janauary, 2019, received from the DDG (Research), ICFRE, Dehradun, it is ordered that GCR, HFRI, in consultation with the Head of Divisions, should identify and hire a company following codal formalities, which can provide plagiarism checking facilities on payment basis. It is also directed that:

- Ph.D. Scholars should submit plagiarism checking report along with the manuscript for approval to the Institute/Universities as the case may be. Ph.D. scholars will be required to bear the charges of thesis checking on their own.
- All the scientists/PIs in the institute may book the charges of the plagiarism checking in the respective external and internal funded projects following the due process of approval.

साहित्यिक चोरी की रिर्पोट के मूल्यांकन के उपरान्त पाण्डुलिपि/ थीसिस/ शोध पत्रों को (manuscript/thesis/research papers) साहित्यिक चोरी से मुक्त घोषित करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु संस्थान में निम्न **तकनीकी समिति** का गठन किया जाता है:

1. डॉ० वी०पी० तिवारी, निदेशक	**अध्यक्ष**
2. डॉ० संदीप शर्मा, वैज्ञानिक-जी	**सदस्य**
3. डॉ० आर०के० वर्मा, वैज्ञानिक-जी	**सदस्य**
4. डॉ० राजेश शर्मा, वैज्ञानिक-जी एवं स०स०अनु०	**सदस्य सचिव**

To approve the manuscript/thesis/research papers to be free from plagiarism after evaluating plagiarism checking report, the following Technical Committee is constituted in the institute;

1. Dr. V.P. Tewari, Director	Chairman
2. Dr. Sandeep Shama, Scientist-G	Member
3. Dr. R.K. Verma, Scientist-G	Member
4. Dr. Rajesh Sharma, Scientist-G & GCR	Member Secretary

उक्त समिति पाण्डुलिपियों में साहित्यिक चोरी एवं तकनीकी बिन्दुओं के मामलों पर अवलेकन करेगी । यह समिति पाण्डुलिपि/ थीसिस/ शोध पत्रों (manuscript/thesis/research papers) की साहित्यिक चोरी दृष्टिकोण के मद्धेनजर अनापत्ति अनुमति अकारण विलम्ब न करते हुए प्रदान करना भी सुनिश्चित करेगी ।
यदि कोई समिति सदस्य स्वयं लेखक है तो समिति किसी अन्य वैज्ञानिक/अधिकारी को विकल्प के तौर पर चुन सकती है ।

The above committee will look into the matter of plagiarism and technical aspect of the manuscripts. The committee should ensure that the clearance of paper/ thesis/ manuscript etc. from plagiarism angle is granted without un-reasonable delay.

The committee may co-opt another senior scientists/ officers in case any of the Committee Member is himself the author.

05/02/2019

(डॉ० वी० पी० तिवारी)
निदेशक

प्रतिलिपि:

1. उपमहानिदेशक (अनुसंधान), भा०वा०अ०शिक्षा परिषद, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित
2. संस्थान में सभी तकनीकी समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित
3. संस्थान में सभी प्रभागाध्यक्षों को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इसे अपने-2 प्रभागों में कार्यरत शोधार्थी के संज्ञान में लाएं
4. प्रभागाध्यक्ष, सुविधा एवं सेवाएं को हि०व०अनु०सं० की वेबसाईट पर अपलेड करने हेतु प्रेषित